



मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी एसिया - इंदौर

खाद्य सुरक्षा अधिकारी (Food safety officer) के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन 2025

विज्ञापन नं. 04/2025/ 23.06.2025

लोक स्वास्थ्य एवं विकित्सा विभाग

आग - "A"

ऑनलाइन आवेदन करने की

अंतिम तिथि 10.08.2025

महत्वपूर्ण नियम

A. आवेदन-पत्र भरने संबंधित अन्वेषण नियम :-

- मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं विकित्सा विभाग, मध्य प्रदेश बासिन हेतु खाद्य सुरक्षा अधिकारी (Food safety officer) के पदों की पूर्ति हेतु आवेदन पद अनंत्रित नियम जारी हैं।
- आवेदन-पत्र नेवल ऑनलाइन स्वीकार विए जाएंगे औवेदन-पत्र विज्ञापन 11.07.2025 से 10.08.2025 (शोपहार 12:00 बजे) तक www.mponline.gov.in द्वारा www.mppsc.mp.gov.in पर भरे जा सकते हैं।
- उपरोक्त परीक्षा हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार विए जाएंगे। अन्य विधि भी प्रकार से भेजे गए आवेदन-पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं विए जाएंगे।

B. आगु की गणना :-

- आगु की गणना 01 जनवरी 2026 के संदर्भ में की जाएगी।
- आगु की गणना हेतु वही जन्मायिति मान्य होगी जो अध्यार्थी की 10 वीं (High School) की अंक-सूची में शक्ति है। अतः अध्यार्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र में उल्लेखित नाम, विद्या भाग मात्र जन्मायिति का ही उल्लेख करें।

C. गुणक गवाई नियम :-

- उपरोक्त परीक्षा के लिए अध्यार्थी द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान केविट / डेसिट कार्ड, इंटरनेट बैलिंग द्वारा भिया या सकेगा। इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से नवद स्वीकार विया जाएगा। शुल्क विवरण हेतु परिचय -03 का अन्वेषण करें। अध्यार्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की जांच कर दह सुनिश्चित करें कि भुगतान का निवारण तभा "Payment Done" स्थित उल्लेखित है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक का द्राघि ब्रह्मन नहीं किए जाएंगे।
- आयोग द्वारा भारी प्रक्रियात्मक ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आयोग द्वारा सुनिश्चित की गई शुल्क के अतिरिक्त आधिकार या चुटिवाल गलत भुगतान के संबंध में रिफेंड हेतु प्राप्त अध्यावेदन स्वीकार योग नहीं होगा। अध्यार्थी को दिए गए नियमों का मुहमता से भागी-भागी अध्ययन के पश्चात ही निर्धारित शुल्क का भुगतान करें। कियोस्क वर्धन अन्य भाग्यम से चुटिवाल। आधिकार भुगतान के रिफेंड के लिए आयोग विष्येकार नहीं है।

D. त्रुटि सुधार संबंधी नियम :-

- अध्यार्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की सावधानीपूर्वक वाच्य कर ले। ऑनलाइन आवेदन-पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य विनांक 16.07.2025 से 12.08.2025 (शोपहार 12:00 बजे) तक ऑनलाइन ती भिया जा सकता। ऐसे हेतु प्रति त्रुटि सुधार देति रुप 150 त्रुटि सुधार शुल्क देव होगा। अध्यार्थी त्रुटि सुधार हेतु प्राप्त अध्यावेदन स्वीकार योग नहीं होगा। अध्यार्थी को दिए गए नियमों का मुहमता से भागी-भागी अध्ययन के पश्चात ही निर्धारित शुल्क का भुगतान करें। कियोस्क वर्धन अन्य भाग्यम से चुटिवाल। आधिकार भुगतान के रिफेंड के लिए आयोग विष्येकार नहीं है।
- अध्यार्थी यह इवान रखे कि आवेदन-पत्र में दूर्व विधि भी त्रुटि जा सकता। परीक्षा विभाग आवेदन-पत्र के नाह वह नहीं किया जा सकेगा, अतः वे आवेदन-पत्र अवृत्त सावधानी पूर्वक भरो। ऐसे फिर भी जान के अतिरिक्त दूर्व विधि होती है, तो त्रुटि सुधार अवधि में बालित सुधार कर दें।
- त्रुटि सुधार अवधि में ऐसी सुधार के मामलों में पदि किसी अध्यार्थी द्वारा आवश्यक दूर्व के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन-पत्र में सुधार कर दसे अनारक्षित वर्ष किया जाता है तो उसे आवेदन शुल्क के अंतर की राशि (दिए परिचय -2) का भुगतान हुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा, किन्तु अनारक्षित वर्ष के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र को आवश्यक वर्ष में परिवर्तन की स्थिति में आवेदन शुल्क अंतर की राशि जापन नहीं की जाएगी।
- ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में अध्यार्थी द्वारा भरी यागी योगी / वर्ग (विनारक्षित / अन्य सुचित जनकारी / अन्य विवाद वर्ग / विवाद (मतिज्ञा / पुकार) आवश्यक योगी / जन्म विधि वादि के आधार पर ही परीक्षा का परिणाम प्राप्ति किया जाता है। अतः त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात विधि भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। योगी / वर्ग / जन्म विधि परिवर्तन विवरण समस्त अध्यावेदनों के संदर्भ में आयोग द्वारा अध्यार्थी से कोई पर अवधार हेतु किया जाएगा तथा ऐसे यागी ऑनलाइन आवेदन जिए जाएंगे। अध्यार्थी यह सुनिश्चित करें कि वे भासन के अध्यतंत्र आवेदनों के अनुसार संतुष्टि योगी है। गलत जानकारी की स्थिति में उम्मीदवारी विरस्त की जाएगी।

E. वाचन :-

ट्रैकिंग अहंता

किसी मान्यता पाप्त विश्वविद्यालय से साद्य प्रौद्योगिकी या डेवरी या वैव प्रौद्योगिकी या तेल प्रौद्योगिकी या कृषि विज्ञान या पशु विकित्सा विज्ञान या जैव-सायन विज्ञान या सूक्ष्म जैव विज्ञान या रसायन विज्ञान या अैक्सिसिल में स्नातक या स्नातकोत्तर या डाक्टरेट उपाधि या कैन्ट्रीय सदकार के पूर्व अनुमोदित या खाद्य प्राथिकरण द्वारा अधिसूचित कोई अन्य समतुल्य/मान्यता प्राप्त अहंता

केन्द्र सरकार के पूर्वानुमोदन से आवश्यक खाद्य सुरक्षा और मानक प्राथिकरण खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006



(2006 का 34.) के जधीज निर्मित नियमों का पालन करते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद के लिए मानव प्राप्तकर्ता की जारीकरणी :-

किसी मानवता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान या निम्नसिवित अध्ययन के विषय में उत्तमक या स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट की उपाधि:-

खाद्य तकनीक अध्ययन के विषय	"कृषि विभाग" विषय के अन्तर्गत आवेदन करने वाले अध्ययन के विषय
(I) खाद्य इंजीनियरिंग	(I) कृषि
(II) खाद्य इंजीनियरिंग एवं तकनीक	(II) कृषि इंजीनियरिंग
(III) खाद्य प्रसंस्करण एवं संरक्षण	(III) जैवप्रौद्योगिकी
(IV) खाद्य प्रसंस्करण तकनीक	(IV) डैटरी तकनीकी
(V) खाद्य तकनीक एवं प्रबन्धन	(V) मन्त्रालय पालन
(VI) खाद्य और प्रौद्योगिकी	(VI) खाद्य प्रौद्योगिकी
(VII) खाद्य संचय संचयन एवं प्रबन्धन	(VII) खाद्य पौधण एवं जलहार - विद्या
(VIII) खाद्य प्रक्रिया इंजीनियरिंग एवं प्रबन्धन	(VIII) इंडिकल्पन
(IX) खाद्य प्रसंस्करण	(IX) इंडिकल्पन
(X) खाद्य सुरक्षा और गृजात्तरा प्रबन्धन	
(XI) प्रक्रिया एवं खाद्य इंजीनियरिंग	

खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद के लिए मानव जन्य विषयों में निम्नसिवित विषय शामिल होते हैं। अर्थात्-

1. वैयक्तिक और मेडिसिन एंड वैयक्तिक और सर्जरी।
2. वैयक्तिक और टेक्निक सर्जरी।
3. वैयक्तिक और होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी।
4. वैयक्तिक और घृणनी लेडीसिन एंड सर्जरी।
5. वैयक्तिक और सिद्ध मेडिसिन एंड सर्जरी।
6. वैयक्तिक और आशुरूपिक मेडिसिन एंड सर्जरी।
7. वैयक्तिक और चिकित्सा मेडिसिन एंड सर्जरी।

आवश्यक टीप:-

समाप्तक अहेतु में रसायन शास्त्र एवं विषय के रूप में सम्बलित होने पर अध्यय्यों उक्त पद हेतु आवेदन करने के पाव होते।

रोल्गार पर्कीयम -

- (अ) मानवीय उच्च न्यायालय भूद्यपीठ जबलपुर में द्वारा याचिका इनांक 5096/2022 में परित अंतिम आदेश दिनांक 08.03.2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के जन्मस्थियों को रोजगार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है।
- (ब) अध्यपदेश के मूल निकासियों का जीवित रोजगार पंजीयन, आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होता, किन्तु ऐसे अन्यस्थियों को साकाल्कार हेतु आवोग कार्यालय में बोर्डिंग वस्तावेज कियाजाने की अंतिम तिथि तक रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र जिनवार्षतः प्रस्तुत करना होगा।
- (स) अध्यपदेश शास्त्र की सेवा में कार्यरत - शासकीय/ लिङ्गम/ मण्डप/ उपराज/ आवोग/ बोर्ड/ विश्वविद्यालय/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सेनिक - अन्यस्थियों को विआग/कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र की मान्यता दिया जाएगा। उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करने पर रोजगार पंजीयन से छुट रहेगी।
3. प्रकाशित विज्ञापन में विज्ञापित पदों हेतु जी वीशिष्ट अहेतु एवं विज्ञापित रिक्तियों का कारबाह बर्गीकरण जारी का दूसरे दिया गया है वह विभाग के द्वारा गोपनीय के अधार पर प्रकाशित किया गया है, लिसमें जापोग की ओर भूमिका नहीं रहती है। अतः अन्यस्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संबंध में जागोग में प्राप्त विकायों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त संबंध में शिकायतकर्ता मानवीय सीधे उस विभाग को जापनी शिकायत प्रेरित कर सकते हैं।

न. परीक्षा बैनर तथा प्रवेश-पत्र :-

1. इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु इन्वीट, जोपाल, बाबसपुर तथा व्यालियर सिवत परीक्षा बैनरों पर बल्लुनिष्ठ प्रश्नों की OMR बाजारित परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुमानानुसार के प्रधारा पर विभिन्न शैक्षियों हेतु विज्ञापित पदों के बीच गुला तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अन्यस्थियों को साकाल्कार हेतु अनंतित किया जाएगा। परीक्षा तिथि एवं इवेंट-पत्र उपलब्धता तिथि की अभासमय आवोग की देवसाइट mppsc.mp.gov.in पर प्रकाशित किया जाएगा।
2. आवोग द्वारा भर्ती विज्ञापनों में अनलाइन व्यवेदन-पत्र लम्बवत्ता के अनुग्रह अन्यस्थियों से परीक्षा केन्द्र जावेदन हेतु गाझर की अधिमान्यता एवं उपलब्धता के लाभार पर आवंटित की जाती है। अन्यर्थी द्वारा एक बार अधिमान्यता उपरांत परीक्षा गहर परिवर्तन के संबंध में प्रस्तुत भोई भी जन्मावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
3. आवोग द्वारा भर्ती प्रक्रियाके में सम्बलित अन्यस्थियों को परीक्षा में जाने-जाने का अन्यमानुसार मात्रा तथा प्राप्त करने हेतु व्यष्ट प्रतिपूर्ति का व्यक्तिगत प्रावधानित है, जिसके अनुसार नियमानुसार भुगतान की कार्यपाली सम्पादित भी जाती है। अतएव इस संबंध में किसी भी मान्यता से प्राप्त अन्यस्थियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

- प्रदर्शन / परीक्षा के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जी भी संशोधन / नियंत्रण प्रदात किए जाएंगे, उन सभी संशोधनों / नियंत्रणों को अब तक परिणाम में लायिन करके बचत परिणाम प्रौद्योगिक नियंत्रण बाएंगे। इस संबंध में कोई भी आवश्यक मान्य नहीं होगी। चयन / परीक्षा के संबंध में यदि भर्ती नियम, व्याप, मूल नियावारी, रोजगार एवं कैफियत आरक्षण संबंधी संशोधन शासन द्वारा किए जाते हैं, तो इस संबंध में यथा समय संबंधित सूचना जारी करने के उत्तरात शासन द्वारा समय -समय पर जारी नियंत्रणों के बनुकाग अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा।
- पाठ्यक्रम नियापन के भाग - "H" में सेलम लिया गया है। यदि पाठ्यक्रम नियोरेख जमिति द्वारा विभाग के संदर्भ में प्रकाशित पाठ्यक्रम में कोई परिवर्तन किया जाता है, तो उन्नुकार संबंधित पाठ्यक्रम परीक्षा के वर्धित समयगूच आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। इस संबंध में कोई अन्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा।
- विभाग के अंतर्गत जायोजित होने वाली नियिक परीक्षा एवं साक्षात्कार के प्राप्तांक / योगीताएँ कैसे अद्यतन परिणाम के पूर्व कहांपि प्रदर्शित नहीं किए जाएंगे।
- चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि / लिपिविहीन त्रुटि-संदर्भ में आती है तो आयोग या चयन परिणाम को मुद्दारों का अविकार सुरक्षित है। अन्यित अभ्यर्थियों की सूची उभा प्रतीक्षा सूची एवं अन्यमित अभ्यर्थियों के अधिनेत्र संबंधित विभागों द्वारा आयोग द्वारा प्रतिष्ठित किए जाएंगे। नियुक्ति की कार्यवाही शासन के संबंधित विभागों द्वारा की जाएगी। मुख्य सूची / परीक्षा सूची के अभ्यर्थी नियुक्ति के संबंध में आयोग से प्रवाचन न करे।
- आयोग द्वारा प्रकाशित भर्ती विभागों के उपरांठ कई अभ्यर्थियों द्वारा हम्महीन जाधारों पर विना कोई साझा / दस्तावेजों के अनावश्यक है तथा विभिन्न प्रकार के शिक्षकताती अन्यावेदन प्रस्तुत किए जाते हैं, इस प्रकार के किसी भी माध्यम से पाप्त अन्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- उपर विभाग का अंतिम चयन परिणाम यापिक नमांक SLP 8784/2023, WP5596/2024 एवं ओ.वी.सी. कर्तव्य से संबंधित कान्य वाचिकालों के अंतिम न्यायालयीन नियंत्रण के अन्तर्गत दुहोगा औं वी.सी. आवलग में संबंधित वाचिकालों के अंतिम रुद्धने की त्रुटियां में परीक्षा / चयन परिणाम सामान्य प्रकाशन विभाग, अध्यक्षेश शासन के उच्च कान्यका एवं 07-06-2021/वा.क्र./एक दिनांक 29.09.2022 के अनुसार मुख्य चाल 87% तथा प्राप्तविक चाल 13% के आधार पर जारी किया जाएगा।

अन्य नियंत्रण :-

- विभाग के संदर्भ में समस्त वाचकशक सूचनाएँ, संशोधन जायोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध करायी जाती है। अतः समस्त अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट का नियमित करे सका उपलब्ध सूचनाओं का जाप ले। आयोग द्वारा इस संदर्भ में प्राप्त E-mail Address / प्रवाचनार / दूरभाष संदेश के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
- आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के गैरिफिक लहूता, जाति प्रमाण पत्र, मूल नियागी प्रमाण पत्र एवं कान्य समस्त दस्तावेजों का संधारण नहीं किया जाता है। अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत न्यायालयित दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मात्र विभाग का कार्य आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय किया जाता है। अंतिम अन्यावेदन परिणाम में वाचिक अभ्यर्थियों एवं ग्रामीण अभ्यर्थियों के गमनांतर दस्तावेजों को उच्च योग्य अनुसार विभागों को प्रेषित कर दिया जाता है। दस्तावेजों के अन्यावेदन या कार्य विभाग द्वारा नियुक्ति के पूर्व किया जाता है। अतः अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की बानकारी आयोग द्वारा उपलब्ध करायी जाना संभव नहीं है। इस संदर्भ में आयोग द्वारा नियी प्रकार का प्रवाचनार बान्ध नहीं किया जाएगा। सूचना के स्वीकार के संतर्गत इस संदर्भ में प्राप्त आवेदनों से भर्तीयित विभागों को अंतिम रुद्धन किया जाएगा।
- आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न भर्तीयों के संबंध में समय-समय पर विभाग-नियंत्रण प्रमारिज्ञ नियंत्रण के संबंध में किसी भी आद्यम से प्राप्त अन्यावेदनों की स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- क्रान्तिकारी भर्ती विभाग के अंतिम अन्य छोई भी अभ्यर्थियों की औचित्यहीन विभागालों के संबंध में किसी भी आद्यम से प्राप्त अन्यावेदनों का स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- विभाग के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएँ तथा परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा अनुसारूप अवैदन-पत्र भरते रहने पर ए.ई.मैल Address तथा मोबाइल नम्बर पर ए.ई.मैल Address द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं हेतु अनुसारूप अवैदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर का अवश्य उल्लेख करे सका आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें।
- आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली नियमक एवं पारदर्शी है। किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली के विभिन्न कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अतः किसी भी व्यक्ति द्वारा भीड़े या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यावहारिक रूप से अवश्यक है। अतः ऐसे व्यक्ति को जहांपरे में न जाएं और उस अवक्षित की सम्मुखी बानकारी प्राप्त कर जायी गी तो अविलम्ब प्रदान कर दें ताकि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध संबंधित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम तथा पठा गोपनीय रखा जाएगा।



आग - "B"

एक

भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य लेपियों के आवेदकों से हीक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, के अंतर्गत निम्न पद हेतु आवेदन पत्र जानकारी किए जाते हैं :-

रिक्त पदों की संख्या						रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या						मध्यप्रदेश के मूल निवासी गृहस्थी सीनियरों हेतु आरक्षित पद संख्या						मध्यप्रदेश के मूलनिवासी दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों की संख्या					
UR	SC	ST	OBC	EWS	Total	UR	SC	ST	OBC	EWS	UR	SC	ST	OBC	EWS	LD	VH	HH	MD				
14	8	17	23	5	67	5	3	6	8	2	1	1	2	2	0	4	0	8	0				

टेक :- सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 07-48/2021/आ.प्र./एक दिनांक 29.09.2022 में दिए गए दिनानिवेदियों के अनुसार उपरोक्तानुसार विज्ञापित पदों का परीक्षा परिणाम दो भागों में मुख्य भाग एवं प्रावधिक रूप में घोषित किया जाना है, इस नंबरधा में विभाग द्वारा जारी जारी आवेदन को प्रेषित पत्र क्रमांक 1/1/1/0003/2022-Sec-1-35(ANH), दिनांक 18.11.2022 के अनुसार मुख्य भाग तथा प्रावधिक रूप से घोषित होने वाले पदों का विवरण का उल्लेख भी उपरोक्त तात्परा में किया गया है।

मुख्य भाग (87%)																			
14	8	17	20	5	64	5	3	6	7	2	1	1	2	2	0	4	0	8	0
प्रावधिक भाग (13%)																			
*3	-	-	3	-	3	*1	-	-	1	--	-	-	-	--	--	--	--	--	--

टीप :-

- उपरोक्त पदों में से अनुसूचित जलवायिति के 7 पद एवं अन्य विषयों वर्गे के 10 पद बैकलेंग के हैं।
- कोई व्यक्ति जिसका खाद्य की किसी वस्तु के विनियोग, आवाहन या विक्री में कोई वित्तीय छिन न हो। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
- आवाहन द्वारा जारी गैरिट सूची ही प्रथम काउंसलिंग की चयन सूची होगी।
- संघर्षित अभ्यर्थियों की पदस्थापना जारी न हो प्रथम काउंसलिंग की चयन सूची (प्रथम काउंसलिंग की चयन सूची) के आधार पर केवल एक ही काउंसलिंग के माध्यम से जारी जाएगी। यह प्रक्रिया प्रथम काउंसलिंग कहलायेगी।
- यदि प्रथम काउंसलिंग उपरांत सभी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं हो पाती है, तो ऐसे रिक्त पदों की पूर्ति जारी न होने वाले प्रतीक्षा सूची के माध्यम से केवल और केवल दो और अतिरिक्त काउंसलिंग द्वारा जारी जाएगी। यह प्रक्रिया दूसरीवार काउंसलिंग कहलायेगी।
- यदि नृतीय काउंसलिंग के उपरांत भी विकल्पना कारणी से पद रिक्त पाये जाते हैं, तो वह पद आगामी अर्ती परिषद के माध्यम से भरे जाएंगे।
- मध्यप्रदेश सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन भौतिकियकरण विभाग, नंदेश भवन, शोपाल पर पत्र क्रमांक 365/1857412/2024/26-1, दिनांक 05/03/2024 के अनुसार दिव्यांगजन के चिन्हांकित पद पर संबंधित दिव्यांगता में उपलब्ध नहीं होता है ऐसी स्थिति में उपर रिक्त आगामी अर्ती वर्ष में कोई फैसड़ होती।

ठो पद का विवरण

- (A) विभाग का नाम : लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग
- (B) शैरी : III Executive
- (C) पद स्थिति : स्थायी
- (D) बैतनमाल : रुपर 36200-114800 तथा राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार मंहगाई भल्ता एवं अन्य अल्प देय होंगे।
- (E) कर्तव्य : खाद्य सुरक्षा और मानक जटिलियम 2006/ लियम 2011 में वर्णित कर्तव्यों का नियंत्रण करना।
- (F) पद का नाम : खाद्य सुरक्षा अधिकारी (Food safety officer)
- (G) अहंता : अनिवार्य शीक्षणिक अहंता

किसी नान्यता प्राप्त विषयविद्यालय से खाद्य प्रौद्योगिकी या डेवरी या लैव प्रौद्योगिकी या तेल प्रौद्योगिकी या कृषि विज्ञान या पञ्च चिकित्सा विज्ञान या औषध-सायन विज्ञान या सूक्ष्म वीज विज्ञान या रसायन विज्ञान या नैडिसिन में स्नातक या स्नातकोत्तर या डाक्टरेट उपाधि या कैल्फ्रीक सरकार के पूर्व अनुमोदन से खाद्य प्रौद्योगिक द्वारा अधिसूचित कोई अन्य समन्वयन/मान्यता प्राप्त अहंता



रीकार्डिंग अहेता

केन्द्र सरकार के पूर्वजनरीदन से भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रधिकरण खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) के अधीन निर्मित नियमों का पालन करते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद के लिए मान्य पाल्यान्वयनी की जानकारी :-

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से निम्नलिखित अध्ययन के विषय में स्नातक वा स्नातकोत्तर वा डॉक्टरेट की उपाधि-

"खाद्य तकनीक अध्ययन" के विषय	"कृषि विभाग" विषय के अन्तर्गत आवे वा स्नातक अध्ययन के विषय
(I) खाद्य इंजीनियरिंग	(I) कृषि
(II) खाद्य इंजीनियरिंग एवं तकनीक	(II) कृषि इंजीनियरिंग
(III) खाद्य प्रसंस्करण एवं संरचना	(III) नियोजितीयकी
(IV) खाद्य प्रसंस्करण तकनीक	(IV) विद्यरी तकनीकी
(V) खाद्य तकनीक एवं प्रबंधन	(V) मन्त्रालय पालन
(VI) खाद्य जैवप्रौद्योगिकी	(VI) खाद्य योग्य एवं आहार - विद्या
(VII) खाद्य संरचना इंजीनियरिंग एवं प्रबंधन	(VII) होटिकल्यर
(VIII) खाद्य प्रक्रिया इंजीनियरिंग एवं प्रबंधन	(VIII) होटिकल्यर
(IX) खाद्य प्रसंस्करण	
(X) खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता प्रबंधन	
(XI) प्रक्रिया एवं खाद्य इंजीनियरिंग	

खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद के लिए मान्य अन्य विषयों में निम्नलिखित विषय शामिल होते, जैसा कि:-

1. वैयक्तिक और मैडिसिन एंड वैयक्तिक ऑफ सर्जरी।
2. वैयक्तिक और हाईटेक सर्जरी।
3. वैयक्तिक और हाईटेक मैडिसिन एंड सर्जरी।
4. वैयक्तिक और दूनारी मैडिसिन एंड सर्जरी।
5. वैयक्तिक और नियन्त्रित मैडिसिन एंड सर्जरी।
6. वैयक्तिक और आधुनिक मैडिसिन एंड सर्जरी।
7. वैयक्तिक और सौकार्यपात्र मैडिसिन एंड सर्जरी।

आवश्यक दोप्तव्यः-

स्नातक अहेता में इसका शास्त्र एवं विषय के रूप में सम्बन्धित होते वह अभ्यर्थी उक्त पद हेतु आवेदन करने के पावह होते।

रोजगार पंजीयन - (अ) मानवीय उच्च व्याकालक महाविद्यालय जबलपुर में द्वावर याहिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 08.03.2022 के अनुपालन में अन्य पदों के अध्ययनीयों को रोजगार कार्यालय में पंजीयन से सुकृत रखा गया है।

(ब) नियन्त्रित विषयों का जीवित रोजगार पंजीयन, आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किन्तु ऐसे अध्ययनीयों को साक्षात्कार हेतु आवोग कार्यालय में अंतिम दस्तावेज़ भिजाने की अंतिम तिथि तक रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा।

(स) नियन्त्रित विषयों की सेवा में कार्यरत - शासकीय/ निगम/ भूमुख/ उपकाम/ आयोग/ बोर्ड/ विश्वविद्यालय/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सेनाक - अध्ययनीयों को विभाग/ कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को मान्य किया जाएगा। उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करने पर रोजगार पंजीयन से छूट रहेगी।

- (H) आयु सीमा: 21. वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।
- (I) आयु संशोधन तिथि: 01.01.2026 (आयु सीमा में दी गयी अन्य छूट के लिए परिशिष्ट - 1 देखें)
- तीन (I) अभ्यर्थी के पास रीकार्डिंग अहेता और मानवान्वयनी के अंतिम तिथि के बाट किसी भी तिथि को अहेता में अंजित करने वाले अभ्यर्थी विज्ञापित पर्दा हेतु विद्यारित होने की प्रवत्ता नहीं रहेगी।
- (II) शास्त्र द्वारा पदों की संख्या का पुलवीकाण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।
- (III) घटनित अध्ययनीयों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवैधता पर की जाएगी।
- (IV) किसी भी प्रतीक्षा में मान्य प्रदेश की नीति लिवारी महिलाओं के लिए जारी आदेश पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अनुज्ञा में उसी प्रदेश के पुरुष अध्ययनीयों के द्वारा भरे जा सकते।



- (V) अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित पद के बहल मध्य प्रदेश के मूल नियासी अनुसूचित जाति, एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित है।
- (VI) मध्य प्रदेश के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक स्तर से कमज़ोर वर्ग के अन्यथा अपना वर्ग जनारक्षित लियें।

पार मध्य प्रदेश सिविल सेवाये (सेवा की सामाजिक भाँति) नियम 1961 के अंतर्गत अनैता :-

अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे नहीं लिए जानी दी जाएगा।
परन्तु जहाँ किसी भी उम्मीदवार के दिल्लू किसी अपराध का सिद्ध-दोष लहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु जहाँ किसी भी उम्मीदवार के दिल्लू अपराध में ऐसे मामले संबंधित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनियोग होने तक संबंधित रखा जाएगा।

ब. कोई भी उम्मीदवार दिल्लू को से आर्थिक जीवित संतान है, जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पढ़ते से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रत्येक 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से आर्थिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरहित नहीं होगा।

पांच महत्वपूर्ण :- यह भुविश्वत करने की जिम्मेदारी स्वर्ग अन्यथा की होगी कि, वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अहंताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले अन्यथा अपनी अहंता की आंख स्वयं कर ले और अहंता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें; लिखित परीक्षा हेतु प्रदेश पत्र जारी करने अथवा साक्षात्कार के लिए आवेदित करने का अर्थ यह कदाचित नहीं होगा कि अन्यथा की अहंता स्वयं करना लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अन्यथा के अन्हुए पाप जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त भी जाएगी।

अधिकारिकों आयु :- सामाजिक प्रशासन विभाग एवं संबंधित विभाग द्वारा समय - समय पर जारी अधिकारित अधिकारिकों आयु

अधिकारिकों आयु

चयन प्रक्रिया :-

(1) इस विज्ञापन के अंतर्गत विभागित पदों हेतु वस्तुलिप्त पदों की OMR आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणालूकम के आधार पर विभिन्न अभियांत्रियों द्वारा विभागित पदों के लिए मूल तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभियांत्रियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन परिणाम, परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के बीच के गुणालूकम के आधार पर विभाग आयोजन से संबंधित समस्त जानकारियां, परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम, परीक्षा लिखि एवं प्रदेश-पत्र उपलब्धता लिखि आदि विवरण आयोग की वेबसाइट <http://www.mppsc.mp.gov.in/> पर प्रकाशित किया जाएगा।

(2) परीक्षा उपर्यांत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की पेपर सेट/ ऑफरेटर द्वारा तैयार प्रावधिक उत्तर-कुंजी आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर प्रकाशित कर और लाइसेंस पद्धति से 05 दिवस की अवधि में आपत्तिवाले प्राप्त की जाएंगी। इस अधिकारित प्रश्न के प्रश्नों के उत्तर-कुंजी आपत्तिवाले पर कोई विभाग नहीं किया जाएगा। प्रति प्रश्न आपत्ति हेतु 150 रुपय (Non-Refundable) शुल्क देय होना तथा प्रति सत्र पौर्टल शुल्क (लप्प 40/-) पृथक से देय होगा। आपत्ति हेतु देने शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। प्राप्त आपत्तिवाले पर विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जाएगा। समिति द्वारा आपत्तिवाले पर विचार कर लिम्नालूसार कार्यवाही की जाएगी :-

1. ऐसे प्रश्न जिनका प्रावधिक उत्तर-कुंजी में दिए गए विकल्पों में से गलत उत्तर दिया गया है और विकल्पों में अन्य विकल्प तहीं हैं तब प्रावधिक उत्तर-कुंजी को संबोधित किया जाएगा।
2. प्रश्न के हिन्दी तथा झंझेजी अनुवाद में जिल्हा की स्थिति में केवल हिन्दी अनुवाद ही मान्य होगा।
3. ऐसे प्रश्न जिनका दिए गए विकल्पों में एक से अधिक सही उत्तर हैं, सभी सही उत्तरों को मान्य किया जाएगा।
4. ऐसे प्रश्न जिनका दिए गए विकल्पों में एक भी सही उत्तर न हो को प्रश्नपत्र से विलोपित किया जाएगा।
5. विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा समस्त अभ्यर्थियों पर विचार करने के पश्चात अंतिम उत्तर कुंजी बताई जाएगी तथा आयोग द्वारा वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर प्रकाशित की जाएगी। अंतिम उत्तर-कुंजी के प्रकाशन के पश्चात जोई भी आपत्ति/ पत्र-व्यवहार मान्य नहीं किया जाएगा। विषय विशेषज्ञ समिति का निर्णय अंतिम होगा।
6. उपरोक्तानुसार समिति द्वारा विलोपित किए गए प्रश्नों को छोड़कर शेष प्रश्नों के आधार पर अंतिम उत्तर कुंजी के अनुसार अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तकालौ का भूल्यांकन कर प्रावधिक परीक्षा विभाग योग्यता किया जाएगा।



दस आवेदन प्रक्रिया :- उक्त पद हेतु आवेदन पांग्डीरलेट के सावधान से ऑफलाइन जमा किए जा सकते। ऑफलाइन आवेदन पद अर्ने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु परिशिष्ट -3 का अवलोकन करें।

उचारह विज्ञापन के सन्दर्भ में आवश्यक सूचनाएं, ऑफलाइन परीक्षा का परिणाम के बाल आयोग की वेबसाइट <http://www.mppsc.mp.gov.in/> पर प्रकाशित वी जारी अतः आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें।

बाहर अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें :-

- (i) आयु सीमा की घट परिशिष्ट -1
- (ii) अहताकारी दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक निर्देश परिशिष्ट -2
- (iii) आवेदन पद अर्ने के तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां परिशिष्ट -3
- (iv) परीक्षा से संबंधित अन्य निर्देश परिशिष्ट -4

 (प्रबल सिंह)

 संजीव

विज्ञापन तिथि	:	23.06.2025
ऑनलाइन आवेदन की प्रारम्भ तिथि	:	11.07.2025
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि	:	10.08.2025
ऑनलाइन आवेदन में चुटि-सुधार करने की प्रारम्भ तिथि	:	16.07.2025
ऑनलाइन आवेदन में चुटि-सुधार करने की अंतिम तिथि	:	12.08.2025
प्रवैश-पत्र उपलब्धता तिथि	:	
लिखित परीक्षा तिथि	:	
लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों हेतु दस्तावेज प्रेपित करने की अंतिम तिथि	:	यथा समय घोषित की जाएगी।
लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों हेतु विलंब शुल्क के माध्य दस्तावेज प्रेपित करने की अंतिम तिथि	:	
सालात्कार तिथि	:	

परिशिष्ट - 1

आयु सीमा में छूट

(एक) उच्चतर आयु सीमा में वर्ग विशेष को देय छूट

मध्य प्रदेश शासन, सामाजिक प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-3/8/2016/1/3, दिनांक 24 जुलाई 2019 के अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग / दिल्लीगढ़न/ शासकीय/ नियम/ मण्डल/ स्वशासी भंस्था के कर्मचारियों/ नवर सैनिक/ महिलाओं (अनारक्षित/ आरक्षित) आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

* ऐसा अन्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गयी सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अधिकतम वर्ग करते के लिए अनुमति किया जाएगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकाले वह अधिकतम आयु सीमा से तोल वर्ष से अधिक नहीं होगी चाहिए।

स्पष्टीकरण :-

भूतपूर्व सैनिकों से अलिंगत है मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं हथा पर्दा, तृतीय क्षणी तथा चतुर्थ क्षणी में रिस्टियों का आरक्षण) नियम 1985 के नियम 2 (ग) में यथा प्रावधानित भूतपूर्व सैनिक।

(दो) प्रौत्साहन स्वरूप दी जगी छूट

- (1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्नालीय विवाह प्रौत्साहन बोलना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतीयों के सर्वांग सहशागी को सामाजिक प्रशासन विभाग के मापत क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.08.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- (2) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित लिङाड़ियों को सामाजिक प्रशासन विभाग के मापत क्रमांक सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

टीप :- (1) परिशिष्ट-1 (दो) के अंतर्गत प्रौत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्य/ योजनाओं के अंतर्गत दी गयी छूटों में से यदि कोई अन्यर्थी एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में किसी एक आधार (प्रौत्साहन बाले) के लिए देय छूट भिन्नी।

- (2) समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में है, जहाँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिल्लीगढ़न, भूतपूर्व सैनिक तथा महिला अन्यर्थियों को देय आरक्षण अधिकतम आयु सीमा में छूट के बल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त क्षणी के अन्यर्थी अनारक्षित मान्य होंगे।

(सामाजिक प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन के पद क्रमांक 969/1197/2012/आ.प./एक, दिनांक 06.08.2012 में निहित व्यवस्था के अनुसार)

बोट :-	<ol style="list-style-type: none"> (01) उपरोक्त परिशिष्ट - "एक" में उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पावता संघर्ष प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी। (02) अन्यर्थियों को उपरोक्त सभी छूट देय होगी किन्तु समस्त छूट को शामिल करते हुए भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात् जिन अन्यर्थियों की आयु 45 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पाव नहीं होंगे। (03) जिस आरक्षित क्षणी हेतु पद विभागित नहीं है उन्हें आयु सीमा में छूट देय नहीं होगी किन्तु आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में छूट तथा यात्रा भत्ते की पावता होगी।
--------	---



अहंताकारी दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक निर्देश

1. अन्यथी की समस्त शैक्षणिक अहंता जॉनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 10.08.2025 तक पूर्ण होना चाहिए, अन्यथा अन्यथी को अनहूं माना जाएगा।
2. अरक्षित थेणी (अनुसूचित जनजाति एवं अन्य प्रिक्लाइड वर्ग) का लाभ प्राप्त किए जाने हेतु आवेदकों के पास परीक्षा का जॉनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक या उसके पूर्व का मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के लिए प्राथिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि आयोग द्वारा परीक्षा का जॉनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि के बाद जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसे मान्य नहीं किया जाकर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत विसी भी प्रकार का अन्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा।
3. ऑफलाइन जारी जाति प्रमाण-पत्रों में जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताख्य, जारी करने वाले अधिकारी के पदनाम की भीन, जाति का नाम, प्रकरण क्रमांक एवं जाति प्रमाण-पत्र में गोल सीञ्च अंकित नहीं होने पर आवेदक साक्षात्कार दिवस को उक्त प्रमाण-पत्र मान्य करने हेतु अन्यावेदन प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसे अन्यावेदन मान्य नहीं किए जाकर साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।
4. अतः आवेदक जॉनलाइन फार्म प्रस्तुत करने के पूर्व अपने जाति प्रमाण-पत्र में सभी पूर्तियों की जाँच करने के उपरांत ही परीक्षा हेतु जॉनलाइन फार्म भरे, यदि सभी पूर्तियाँ पूर्ण न हो तो तलात जॉनलाइन जाति प्रमाण-पत्र बनवाने संबंधी कार्रवाई करने के बाद ही परीक्षा हेतु जॉनलाइन आवेदन करें।
5. यदि आवेदक म.प्र. शासन में शासकीय सेवक होने की स्थिति में जॉनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से साक्षात्कार दिवस तक भी तिथि में निरन्तर सेवा में है तो ऐसी स्थिति में ही आवेदक को, शासकीय सेवक के आयु-सीमा का लाभ प्रदाय किया जाएगा।
6. यदि आवेदक जॉनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की तिथि को शासकीय सेवा में है किन्तु साक्षात्कार दिवस को शासकीय सेवा में निरन्तर कार्यरत नहीं है तो ऐसी स्थिति में आवेदकों को शासकीय सेवक को देय आयु सीमा की छूट का लाभ देय नहीं होगा। अधिक आयु होने पर उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।
7. यदि म.प्र. के मूल निषासी आवेदक भूतपूर्व सैनिक व्याख्यण का लाभ प्राप्त करने हेतु जॉनलाइन आवेदन-पत्र में स्वयं को भूतपूर्व सैनिक दर्शाया गया है किन्तु जॉनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं या होने वाले हो ऐसी स्थिति में आवेदक को भूतपूर्व सैनिक आयु-सीमा में छूट का लाभ प्रदाय नहीं किया जाकर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा थेणी परिवर्तन हेतु प्रस्तुत अन्यावेदन अमान्य किए जाकर नस्तीबद्ध किए जाएंगे।
8. जॉनलाइन आवेदन-पत्र में आवेदक का नाम, बन्धविथि, थेणी, पुराण/महिला की उप वेणी का आवेदक के मूल प्रमाण-पत्रों से मिलान करने पर त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर आवेदकों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।
9. जॉनलाइन फार्म में किसी भी प्रकार की गलत जानकारी प्रस्तुत किए जाने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। उक्त संबंध में साक्षात्कार दिवस को त्रुटि सुधार हेतु प्रस्तुत अन्यावेदन अमान्य किए जाकर नस्तीबद्ध किए जाएंगे। अतः आवेदक जॉनलाइन फार्म में त्रुटिसुधार की अवधि में जॉनलाइन फार्म में त्रुटिसुधार कर से।
10. मध्यप्रदेश के मूलनिवासी आवेदकों को जाक्षात्कार के पूर्व निर्धारित जनप्रमाणन पत्र, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा अन्य वाचिक दस्तावेज यादि आयोग कार्यालय में भिजवाने की अंतिम तिथि तक रोजगार कार्यालय द्वारा जारी जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
11. साक्षात्कार के दिन अधिकारी निवेशित सभी कंडिकालों का सूचनाता से पालन कर निम्नानुसार प्राप्त के साथ आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियों तैयार कर आयोग कार्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। इनके अभाव में उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी, जिसकी जिम्मेदारी अन्यथी की स्वयं की रहेगी।

संलग्न दस्तावेजों की सूची



भाग :- "E"

परिशिष्ट प्रपत्र - 01

महाराष्ट्र लोक सेवा बायोग इन्वैर

विज्ञापन क्रमांक:- 04/2025 दिनांक 23.06.2025

परीक्षा का नाम:- खाद्य सुरक्षा अधिकारी (Food safety officer)

आवेदक का नाम :-

रोल नम्बर :-

संख्या	दस्तावेजों का विवरण	संलग्न दस्तावेजों के पृष्ठ क्रमांक	पोर्ट
1.	उपलिखित पत्रक - 01 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांक से तक
2.	व्यक्तिगत विवरण - 01 मूल प्रति एवं 05 आवापत्ति (05 व्यापारिति पृष्ठक से प्रस्तुत करना है एवं खाचापत्ति में नम्बरिंग नहीं करना है)	पृष्ठ क्रमांक से तक
3.	अनुप्रमाणन फार्म - 03 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांक से तक
4.	शोधण्ड पत्र (किसी भी चबन/परीक्षा वे विवरित (दिवार) नहीं होने संबंधी)-01 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांक से तक
5.	हाईस्कूल की अंकसूची।	पृष्ठ क्रमांक से तक
6.	हायर सेकंडरी की अंकसूची।	पृष्ठ क्रमांक से तक
7.	आवक / संबंधित अहंकारी की समस्ताक वर्धों की अंकसूचियाँ एवं उपाधि।	पृष्ठ क्रमांक से तक
8.	महाय प्रदेश का मूल निवासी होने की स्थिति में म.प्र. राज्य का रोजगार कार्यालय का जीवित धनीयन प्रमाण पत्र। (साकालार हेतु आयोग कार्यालय से बालित दस्तावेज निवासने की जातिम (पृष्ठक से अधिसूचित की जाएगी) तिथि दाता)	पृष्ठ क्रमांक से तक
9.	महाय प्रदेश का मूल निवासी होने की स्थिति में मूल नियासी/इनार्ही निवासी प्रमाण पत्र की प्रति। (प्रमाण पत्र में योग्यता, जाति, क्रमांक, दिनांक का उल्लेख होना आवश्यक है।)	पृष्ठ क्रमांक से तक
10.	अवधिकारी येति होने की स्थिति में सधम अधिकारी जारी जारी, न.प्र. आसन का जाति प्रमाण पत्र। विवाहित महिलाओं के भायले में स्वर्द के नाम के साथ निवा के नाम का जाति प्रमाण पत्र। (जाति प्रमाण पत्र में जारी करने का दिनांक, गोल मीन पत्र प्रकरण क्रमांक का उल्लेख होना आवश्यक है। अन्य राज्य के जारी जाति प्रमाण पत्र नाम सही होगे) म.प्र. आसन की सेवायों हेतु नियार्हित पालण में जाति प्रमाण पत्र नाम होगे।	पृष्ठ क्रमांक से तक
11.	महाय प्रदेश के मूल निवासी होने की स्थिति में अन्य प्रियकारी वर्ग के अधिसूचियों से जीमीलेवर भेष्टी के अंतर्गत न आने संबंधी प्रस्तुत किए जाने वाला शोधण्ड पत्र- 01 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांक से तक
12.	वहिला आवेदकों हेतु विवाहोपरांत उपनाम परिवर्तन में स्थिति में वापर पत्र की प्रति।	पृष्ठ क्रमांक से तक
13.	दिव्यांग होने की स्थिति में प्रियामवा का प्रमाण पत्र की प्रति।	पृष्ठ क्रमांक से तक
14.	शासकीय सेवक होने की स्थिति में किमाव जारी जारी आवापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति। अनापत्ति प्रमाण पत्र न हो तो प्रारम्भिक परीक्षा के बौनालाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 10.08.2025 अवश्य उसके पूर्व विभाग में अनापत्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन-पत्र की प्रति संलग्न करें।	पृष्ठ क्रमांक से तक
15.	माध्यप्रदेश की सेवा में सेवारत होने की स्थिति में शासकीय सेवक हेतु अभियंचन पत्र - 01 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांक से तक
16.	भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में बौनालाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 10.08.2025 अवश्य उसके पूर्व के भूतपूर्व सैनिक होने संबंधी दस्तावेज की प्रति एवं सेवाचार्य के विवरण पत्रक की प्रति।	पृष्ठ क्रमांक से तक
17.	जन्मपर्वी का स्वर्य का पहलान पत्र। कोई एक (आधार-कार्ड/मरुदाता परिचय पत्र/प्रेन कार्ड/वैक पारस्पर्य की प्रति/शासकीय क्रमांकारी होने पर नियोजाय द्वारा जारी परिचय पत्र की प्रति/द्वारा विवर लागतेस्त)	पृष्ठ क्रमांक से तक
18.	न्यायालयीन प्रकरण होने की स्थिति में अनुप्रमाणन फार्म के पृष्ठ 4 के दिक्का 16 एवं पृष्ठ 5 पर के दिक्का 17 में विकित न्यायालयीन प्रकरण के संबंध में दस्तावेजों की छायापत्ति : (03	पृष्ठ क्रमांक से तक



	प्रति)।		
19.	आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध विज्ञापिता पर्दे के मुख्य भाग (87 प्रतिशत) एवं प्रावधानिक भाग (13 प्रतिशत) के आधार पर अभ्यर्थी "अभियन्त्रन" पत्र की पूर्ति कर आयोग कार्यालय में साकात्कार दिवाल को अनियार्थक; इसके कारण सुनिश्चित करें।	पृष्ठ कमांडे से तक	
20.	अन्य आवश्यक दस्तावेज़	पृष्ठ कमांडे से तक	

कुल संलग्न दस्तावेजों की संख्या :-

जावेदक के हस्ताक्षर

* उक्त प्रारूप में संलग्न प्रमाण-पत्र विज्ञापन के परिशिष्ट-III में यथा निर्धारित तिथियों या उसके पूर्व जारी होना अनिवार्य है। इसका पालन न होने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी।

आवेदन करने के संदर्भ में लिंक पर जानकारी

- 1- ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश लिम्लाइनर है :-
 1- उपरोक्त पढ़ो हेतु आवेदन-पत्र लिम्ल वेबसाइट पर और जा सकेंगे
 1. mppsc.mp.gov.in 2. www.mppsc.mp.gov.in
- 3- अध्यर्थी अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फार्म भरकर आवेदन/ परीक्षा शुल्क का भुगतान करवाएं या ड्रेगिट फार्म के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नेट बैंकिंग सुविधा यारक अध्यर्थी नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।
- 4- अध्यर्थी फार्म भरने के पूर्व अपने नवीनतम फोटोबाज़ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्कैन फाइल तैयार रखें जिन्हें उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय संलग्न करना होगा। अध्यर्थी यह अवश्यक सुनिश्चित कर लें कि आवेदन-पत्र में उनके फोटो एवं हस्ताक्षर स्पष्ट हैं।
 फोटो स्कैनिंग के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश:-
 1. स्कैनिंग हेतु पासपोर्ट साइज की नवीनतम रेगिस्ट्रेशन फोटो का प्रयोग करें।
 2. फोटो खिचवाते समय रिसेक्स स्थिति में सीधे कैमरे में दें।
 3. बढ़ि आप चम्पों का प्रयोग करते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि कोई रिसेक्सन न हो तथा आपकी आंखें हप्पण्ट दिख रही हों।
 4. टोपी हेट तथा आंखें चम्पों स्वीकार्य नहीं हैं। सर पर पहने जाने वाले धार्मिक परिधान स्वीकार्य हैं, किन्तु उनसे आपका धेरहा नहीं उंकना चाहिए।
 5. यह सुनिश्चित करें कि फोटो का बैकग्राउंड हल्के रंग या झादरी स्पष्ट में स्फोट हो।
 6. किसी और से अपनी फोटो खिचवाए। कृपया सेल्फी का प्रयोग न करें।
- 5- ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय इमाज रखना चाहिए कि, वह उक्त वेबसाइट पर दिए गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें।
- 6- आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, अध्यर्थी द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन फार्म में अंकित की जा रही है वही प्रामाणिक जानकारी है अतः ऑनलाइन आवेदन-पत्र submit करने के पूर्व एक बार पुनः अध्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझकर तभी भरी जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन submit करें।
- 7- आवेदन-पत्र submit करने के बाद खुलने वाले popup window में अध्यर्थी को उसके द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लिखित आधारबद्ध सूचनाएं अर्थात् उसका नाम, मात्रा पिता का नाम, उम्र तिथि, ऐप्पी लिंग आदि की जाएगी जिसमें त्रुटी परिस्थित होने पर अध्यर्थी तत्समय ही Cancel बटन द्वारा कर पुनः फार्म में बापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकते। Popup window में OK बटन द्वारा कर फार्म सबमिट करने पर आवेदन-पत्र के सफलतापूर्वक जन्मा होने की सूचना मिलेगी जिसमें उसके आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा।
 अध्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन-पत्र submit होने के बाद "Proceed for Payment" बटन द्वारा कर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अध्यर्थी को उसका आवेदन-पत्र पापत होगा जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done" स्पष्टतः उल्लिखित होगा। अध्यर्थी उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।



8-

बुटि सुधार सुविधा :- अपला आवेदन-पत्र साक्षात्कारी पूर्वक भरें। आवेदन-पत्र में कोई बुटि होने पर दिनांक 15.07.2025 से 12.08.2026 (दोपहर 12:00) तक पति बुटि सुधार सत्र ₹ 50/- बुटि सुधार शुल्क का अनुगतान कर ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अन्यथा द्वारा ऑनलाइन ही बुटिसुधार किया जा सकेगा। नियम अवधि में बुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चात्कर्ती अन्वावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा। अनारक्षित शेषी हेतु शुल्क 500 तथा आरक्षित शेषी हेतु 250 नियमित है अतः आरक्षित शेषी के अन्यथा के रूप में अरे नए आवेदन को बुटि सुधार द्वारा अनारक्षित शेषी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की ताकि रुपए 250 बुटि सुधार शुल्क के अनुरूपता देय होगा। किन्तु अनारक्षित शेषी के अन्यथा के रूप में अरे नए आवेदन को बुटि सुधार द्वारा आरक्षित शेषी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राहि वापस नहीं की जाएगी।
ऑनलाइन आवेदन-पत्रमें भरी गयी शेषी/ वर्ग (अनारक्षित/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)/ लिंग (नहिला/पुरुष)/ शासकीय सेवक) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है। अतः बुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद शेषी/ वर्ग परिवर्तन विवरण कोई पश्चात्कर्ती अन्वावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा।

09-

अन्यथा यह सुलिखित कर की उनके द्वारा आवेदन-पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वे साक्षात्कार की उपस्थिति सूची, तथा आदोग के समस्त पत्र व्यवहार में कर्ता विवरण अधिसेष्यों के हस्ताक्षरों में समालित ज होने पर अन्यथा की अन्वर्तिता विरस्त की जा सकेगी।

2- परीक्षा हेतु तथा आवेदन तथा परीक्षा शुल्क

मध्य प्रदेश के न्यू निवासी जनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर स्त्रीले लेयर)/ अर्थिक रूप से बासिक वर्ग एवं दिव्यांगजन शेषी के अन्यथार्थी हेतु	लेख सभी शेषी तथा मध्य प्रदेश के द्वाहर के निवासी अन्यर्थियों हेतु
₹ 250/-	₹ 500/-

टीप: आदोग को प्राप्त शुल्क के बाल विनापन विरस्त होने की स्थिति में ऑनलाइन पद्धति से अन्यथा के बाते में वापस किया जाएगा।

3- ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 10.08.2025 है। अंतिम तिथि को दोपहर 12:00 बजे के बाद आवेदन-पत्र जमा करने की तुविधा बंद कर दी जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते के सद्बै भरते में किसी जालकारी/ लिंकावल हेतु जिम्मे हैल्पलाइन पर संपर्क करें :-

दूरभाष :- हैल्पलाइन - 0755-6720220 तथा 0755-6720221

E-mail :- mppac@mp.gov.in

4- अन्यथा को ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ कोई अधिसेवा अप्लोड नहीं करते हैं किन्तु साक्षात्कार के पूर्ण आदोग को प्रेषित किए जाने वाले अनुप्राणान पत्रक, उपस्थिति पत्रक, व्यविज्ञान पत्रक, पत्रक तथा आवेदन-पत्र की स्वप्रमाणित पति के साथ जिम्मे प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित पतियां आवश्यक रूप से जालगव बनें :-

आयु संबंधी प्रमाण के लिए :- केवल हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी अध्यात्रा ग्रेडीक्यूलेशन की अंकसूची/ प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

शैक्षणिक अहिताजी के प्रमाण पत्र :- हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी तथा उसके बाद की अतिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें अन्यथा ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षीय सेमेस्टरों की अंक सूचियां।

दिव्यांगता प्रमाण-पत्र :- दिव्यांगजन शेषी के अन्यथार्थी को आवेदन पत्र के साथ जोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-ग्रीष्मी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा नियत जिला विकास नियन्त्रण से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संस्करण बरता आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं जिला विकास

कल्याण संचालनालय, नाईप्रदेश के परिपत्र अमांड़ा/टि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखनुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र बृद्धीआईपी पोर्टल के <http://www.swavlambancard.gov.in> के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद गैन्सुअत प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा।

गांवकीय संघक होने का प्रमाण-पत्र :- यह प्रमाण-पत्र नियुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। इस प्रमाण-पत्र में घारित पद तथा विभाग का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

जाति के प्रमाण-पत्र :- अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र नाईप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रट की जाएगी जिसके लिए अन्यथा रटवं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई वचन-पत्र आवश्यक नहीं करते हुए उसे लस्तीबद्ध किया जाएगा एवं आयोग इस संदर्भ में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का उनके गाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जाएगा। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

अन्य पिछड़ा वर्ग में कीमी लेवर में ज आने का प्रमाणन भी आवश्यक है अर्थात् अन्य पिछड़ा वर्ग के जिल प्रमाण-पत्र में कीमी लेवर में ज आने तंत्रिका कटी होती या नहीं होती वे मान्य नहीं होंगे। इस संदर्भ में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को जिम्मानुसार घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा :-

घोषणा-पत्र (Declaration) का जाह्नवी

मे _____ आयोग के नाईप्रदेश शासन के सहायक वाद्य सुरक्षा अधिकारी (Food safety officer) अमांड़ा 04/2025 दिनांक 23.05.2025 के अंतर्गत आवेदन-पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। मे जिम्मानुसार घोषणा करता/करती हूँ-

- मे _____पुरुष/स्त्री _____ निवासी गाम/कस्त्रा/ इहार _____जिल _____नाईप्रदेश कार्यक्रम मूल विवाही हूँ। यह घोषणा करता/करती हूँ कि मे _____ जाति आपको वाद्य है जो शासन द्वारा गांवकीय सेवा में (अन्य पिछड़ा वर्ग) शेषी में आवश्यक किया जाएगा।
- मे एप्पा पूर्वक यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन की अंतिम तिथि तक नाईप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के अध्यक्ष परिषद में लिखित ग्रापटों के जनुसार, मे स्वयं वर्ग अधिकारी की शेषी के अंतर्गत नहीं आता। आता हूँ। दिनांक :- _____

इस्तोत्र
जाम
ठेल बंदर

तदर्य स्वप्न से शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को जल्दियां उपमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। कार्यरत/ छठनी किए गए गांवकीय सेवको हेतु :- नियोक्ता अधिकारी/ सकाम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट -1 की कंठिका-(दो-1) के अधीन उच्चतम आमु सीमा में छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट -1 की कंठिका-(दो-2) के अंतर्गत उच्चतम आमु सीमा में छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

- जो अभ्यर्थी पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट स्वप्न से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकर्षित या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उदयमार्ग के अधीन कार्यरत हो, उनको यह परिवर्तन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने इस दिनांक के संदर्भ में आवेदन किया है। अभ्यर्थियों को यह दिवाल रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के तंदर्भ में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र भिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर उनकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती।

- अनुवासनिक लिंग :-

यदि आयोग का यह समाप्त हो जाता है कि कोई अभ्यर्थी जिम्मेदारियां में से किसी के लिए दोषी है :-

किया हो; या

- 02 प्रतिस्पृण किया हो; या
03 किसी व्यक्ति से प्रतिस्पृण कराया हो; या
04 कूटरचित् अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या
05 ऐसे काम दिए हों जो गलत और झूठे हों या जिसने घब्बे के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जालकारी छुपाई हीं; या
06 परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई जन्म अभियमित या अनुचित साधन जप्तनावा हों; या
07 परीक्षा कल में अनुचित साधनों का उपयोग किया हों या करने का प्रयास किया हों; या
08 परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृद्ध को परेशान किया हों या धमकावा हों या शारीरिक ऊपरी प्रहृष्टाई हों; या
09 उनके द्वारा प्रवेश पत्र में अन्यायियों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या निर्देशों जिसमें परीक्षा संचालन में लगे केंद्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृद्ध द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित हैं, अतिक्रमण किया हो; या
10 परीक्षा कल में या साकात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार.

तब आयोग द्वारा :-

- (क) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है अनहोंठहरा सकेगा और या
उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या
उनके द्वारा किए जाने वाले किसी घब्बे से विवरित कर सकेगा।
(ख) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक^{कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुसंधान की जाएगी।}
(ग) इसके अतिरिक्त अन्यायों के विकट आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

एवं तब शासन द्वारा :-

उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके अधीन नियमोंने से विवरित किया जा सकेगा।

- 7- अनहोंठताएँ:- ऐसे अन्यायियों की उम्मीदवारी नियस्त की जाएगी जिन्हें किसी परीक्षा अथवा घब्बे से उपरोक्त दर्शित प्रावधानों के तहत विवरित किया गया है।
8- परीक्षा की प्रवाचनवती प्रक्रिया के संदर्भ में आवश्यक निर्देश :-

- 01 परीक्षा का परिणाम केवल "रोजगार और जिम्मों" समाधार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट तथा www.mppsc.mp.gov.in पर प्रकाशित किया जाएगा। अन्यायियों को उनके परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं ही जाएगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अन्यावेदन ग्रन्त्य किया जाएगा।
02 परीक्षा परिणाम के तात्पर ही साकात्कार के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएं प्रकाशित की जाएगी। अतः सफल अन्यायों उनके परीक्षा परिणाम के तात्पर ही साकात्कार से संबंधित समस्त सूचनाओं का उत्तमपूर्वक अध्ययन कर उसमें प्रदत्त अनुदेशों के अनुरूप आयोग की वेबसाइट तथा www.mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध कराए गए अनुप्रग्रामों परक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा उपस्थिति पत्रक डाउनलोड करके आवश्यक पूर्तियों के प्रवाचन एवं सभी आवश्यक अभिलेख संलग्न कर, परीक्षा परिणाम में उल्लेखित साकात्कार हेतु अभिलेख जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा करें। अपने ऑफिसाइन आवेदन की स्वप्रमाणित प्रति भी उक्त अभिलेखों के तात्पर आवश्यक संलग्न करें।
03 साकात्कार हेतु अभिलेख जमा करने की अंतिम तिथि तक अभिलेख जमा न करने पर अन्यायों की अन्यायिता स्वयंमेव समाप्त हो जाएगी तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में अन्यायों को पूछक से कोई सूचना नहीं ही जाएगी तथा इस संदर्भ में प्राप्त अन्यावेदनों को दिना विचार किए जानीचाहूँ किया जाएगा।

9- यात्रा व्यय का अनुमतालाल :-

- (अ) नम्बर प्रदेश के मूल नियमी अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्यायों जो कहीं सेवात न हों, को परीक्षा तथा साकात्कार हेतु नम्बर प्रदेश शासन के प्रधानित नियमों के अधीन यात्रा व्यय की पात्रता



होगी।

- (ब) उक्त शेषी के अभ्यर्थियों को उमसे द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में उल्लिखित बहुमान जिवास के पते के शहरणाम से उन्हें आवंटित परीका शहर तक जाने तथा जाने के बाबा व्यय का भुगतान किया जाएगा।
- (स) उक्त शेषी के अभ्यर्थियों को इसके लिए केंद्राध्यक्ष द्वारा आयोग द्वारा लिखारित घोषणा-पत्र पदान जिया जाएगा जिसे अरकर अभ्यर्थी बो बाबा व्यय की पावता से संबंधित निम्न अलिलेखी के साथ केंद्राध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा :-
1. अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणन हेतु अनुचितागतीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा बारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित पति।
 2. बाबा का टिकट जिसमें बाबा की लिपि, कहाँ से कहाँ तक बाबा की बर्दी तथा किराए की राशि का स्पष्टतः उल्लेख हो।
- (द) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अलिलेखी के परीक्षण के बाद बाबा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के बासे में किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम, खाता क्रमांक तथा बैंक के IFSC Code का उल्लेख करना होगा। साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्कैन प्रति आवेदन-पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- (इ) बाबा व्यय भुगतान की पावता रखने पाले अभ्यर्थी अपने बहुमान पते के निकटतम शहर को प्रथम विकल्प के केंद्र के रूप में चुना।
- (फ) साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थीयों को बाबा व्यय उपरोक्त लियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

परिचय-4

- आपिटिकल स्कैमर द्वारा पढ़ी जाने वाली ओ.एम.आर. शीट के उपर्योग संबंधी निर्देश तथा अन्य अनुदेश
- दीर्घ -
ओ.एम.आर.शीट का भूल्यांकन आपिटिकल स्कैमरकाम्प्यूटर द्वारा किया जाएगा। इस ओ.एम.आर.शीट का उपयोग नीचे दत्तावृ गढ़े गतों पर अवश्यक इतन रखते हुए अल्पमत्त सावधानी पूर्वक करें।
- 1 आप अपने साथ परीक्षा कल में कल से कल तो कल प्लाईट पेन अवश्य लाए।
2 गोले अरने के लिए केवल काला बाल प्लाईट पेन जा ही डप्पीय लाए। गोली को पूरी तरह गहरा काला करें, अधूरा अस्पष्ट या हल्का काला करने पर ओ.एम.आर. शीट स्कैमर द्वारा जांची नहीं जा सकेगी।
3 ओ.एम.आर.शीट पर किसी उपकार का रफ्कारी न किया जाए। इस कार्ड के लिए प्रश्नपत्र पर जल्द ऐ स्वातं निर्धारित है, उस स्वातं का ही उपयोग करें।
4 ओ.एम.आर. शीट अल्पमत्त सावधानीपूर्वक रखें। उसे किसी तरह ये गोला या काला न जाए और किसी प्रकार ये गंदी न की जाए अन्यथा कम्प्यूटर/आपिटिकल स्कैमर उसे रद्द कर देगा।
5 उत्तर देना प्रारंभ करने के पहले सुनिश्चित कर ले कि ओ.एम.आर. शीट पर जाली परिचिट्यों सही रूप से की गई है। अझ्यार्थी द्वारा उसे प्रदर्शन प्रश्न पर सेट ग.डी.सी.डी. अक्षन न करने पर OMR का भूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
6 आपको प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के सामने या केवल प्रश्न ही गोला काला करना है। एक से अधिक गोले या काला करने पर या गोली या हल्का, अस्पष्ट या अधूरा काला करने पर या किसी अन्य रेक्टिल या बन्धाही से काला करने पर किसी अन्य संठीहे से कोई लिखान नीचे (✓) या (✗) जाने पर ओ.एम.आर. शीट कम्प्यूटर/आपिटिकल स्कैमर द्वारा पढ़ी नहीं जाएगी।
7 ओ.एम.आर. शीट पर उत्तर अंकन के लिए - हासान्न निर्देश -
(अ) पर्यायों के उत्तर ओ.एम.आर. शीट पर बायास्थान उत्तर अंकित करने के अनुदेश दिए हैं। उन्हें द्यान से पढ़ें। दानों के उत्तर देने के लिए ओ.एम.आर. शीट पर आवश्यक संठीहे लिखी है। प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के नीचेसामने क्रमांक: 4 गोले ए.डी.सी.डी. देने हैं। प्रश्नपत्र में प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर ए.डी.सी.डी. दिए हैं। इनमें से एक सही उत्तर सुनकर संबोधित प्रश्न क्रमांक के नीचेसामने बने गोली ने से केवल एक गोला करने वाल प्लाईट पेन से गहरा काला करें। एक से अधिक गोली को काला करने पर प्रश्न का भूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
(ब) OMR Sheet में उत्तर अंकित कर उसे कटाओ। मिटाओ। बायुंडनर झगड़े से उत्तर प्रश्न का भूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।
(स) ओ.एम.आर. शीट के सामने के पृष्ठ पर अपना नाम, अनुक्रमांक, परीक्षा लिखि, प्रश्नपत्र कोड आदि दरते के लिए ये साथी में प्रविचिट के लिए काले छाले पेन का उपयोग करें। प्रश्न पर A,B,C,D set में से कोई एक ही सेट दिया जाएगा। जाने सेट का कोड क्रमांक सावधानी से लिया इसमें पर अर्दे एवं सेट के गोले या काले पेन से काला करें।
(द) हुस्तान्तर - ओ.एम.आर. शीट पर लिखीरित स्थान पर बाल पेन से हुस्तान्तर करें।
(इ) ओ.एम.आर. शीट के पीछे के पृष्ठ पर अनुक्रमांक, प्रश्नपत्र कोड के कॉलेक्शन के गोली में प्रविचिट करने के लिए काला बाल प्लाईट पेन या उपयोग कर संबोधित क्रमांक के गोले को काला करें। अझ्यार्थी उसे अवंटित 'प्रश्न पर के सेट कोड इयाम से देखे' तथा सेट की जानकारी सुनिश्चित होने के पश्चात ही प्रश्न पर के सेट कोड के गोले को अल्पत सावधानी से काला करें। इसी काले किए गए कोड (ABCD के नामों) के आधार पर ही उत्तरशीट का भूल्यांकन किया जाएगा। सेट कोड नज़र अंकने पर युद्ध सुधार नहीं होना। भूल्यांकन अझ्यार्थी द्वारा अर्दे एवं सेट कोड की उत्तर कुंजी के आधार पर होगा जिसके लिए अझ्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होंगा। आवश्यक प्रविचिट्यों सही स्थान पर उपित रूप से न अंकने पर अझ्यार्थी की उत्तर पुस्तिका का भूल्यांकन करनी नहीं किया जाएगा।
8. रोल नम्बर की प्रविचिट (चित्र-एक)
- रोल नम्बर के छाने में दोर्ये से दोर्ये 1 से 6 तक स्टम्प हैं। पहला स्टम्प का जाल का, दूसरा स्टम्प दस हजार का, तीसरा स्टम्प हजार का, चौथा स्टम्प चैकड़े का, पाचवा स्टम्प दहाई का एवं छठा स्टम्प इकाई का है। इनके नीचे 0 से 9 अंक लिखे हुए गोले हैं। इन्होंने आपको अपने रोल नम्बर के अंकों के बारे में दर्शाए अनुचार रोल नम्बर काला बाल प्लाईट पेन से लिखे तत्प्रथात पहले स्टम्प के गोले क्रमांक 0, दूसरे स्टम्प के गोले क्रमांक 8, तीसरे स्टम्प के गोले क्रमांक 4, चौथे स्टम्प के गोले क्रमांक 0, पांचवे स्टम्प के गोले क्रमांक 2 तथा छठे स्टम्प के गोले क्रमांक 1 के काला बाल प्लाईट से गहरा काला करें। अनुक्रमांक के गोले न अंकने पर या गतित अंकने पर OMR का भूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अंकों में तथा गोले अंकने में लिखनाता हुआ पर ओ.एम.आर. शीट का भूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

परीक्षार्थियों हेतु निर्देश एवं अनुदेश

निम्नलिखित निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ने के उपरांत ही परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हों। निर्देशों एवं अनुदेशों का पालन न करने पर परीक्षार्थी आयोग द्वारा निर्धारित दंड का जानी होगा।

एक - परीक्षा

(ii) परीक्षा में परीक्षार्थी को दिया गया प्रत्येक लिखान प्रावधानिक है।

सेट नं.	प्रिच 1
१	१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ ०
२	० १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९
३	१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ ०
४	० १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९
५	१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ ०
६	० १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९
७	१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ ०
८	० १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९
९	१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ ०
१०	० १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९
११	१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ ०
१२	० १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९
१३	१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ ०
१४	० १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९
१५	१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ ०
१६	० १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९
१७	१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ ०
१८	० १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९
१९	१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ ०
२०	० १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९

- 02 परीक्षा नियत समय पर प्राप्त होती। केन्द्रीयवाह की घटी का समय ही प्रामाणिक भावकर परीक्षा अंचालम लिया जाएगा। परीक्षा परीक्षा के पश्चात् जाने पर परीक्षार्थी को परीक्षा कह में प्रदेश नहीं दिया जाएगा।
- 03 परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश-पत्र लघु मान्य कोटि सूक्ष्म परीक्षा-पत्र आवश्यक रूप से अपने साथ रखें।
- 04 परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी की जीवन की जाएगी। परीक्षार्थी अपने साथ केवल ही काले बाल प्लाइंट पेन, प्रवेश-पत्र एवं मान्य कोटि सूक्ष्म पहचान पत्र अनिवार्य सम से साथ लेकर आएं। इसके अतिरिक्त भोवाइल, कैमरा-ब्युलेट्र, फोन एवं किसी भी प्रकार का कोई हालौक्यानुभव उपकरण आदि परीक्षा कक्ष में ने जाने की ज़रूरत नहीं है।

प्र० - नियम-

- 01 सामान्यतः परीक्षार्थी को परीक्षा की ड्रचर्च में परीक्षा कह से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं दी जाएगी। बीकास से विषेश अनुमति लेकर उनकी नियतार्थी में ही बाहर जाया जा सकेगा।
- 02 जिसी भी परीक्षार्थी जो परीक्षा प्राप्ति होते के पश्चात् एक घंटे तक परीक्षा कह छोड़ने की ज़रूरत नहीं दी जाएगी। असे ही उसने प्राप्तपत्र हल कर लिया हो।
- 03 प्राप्तपत्र हल करने के पश्चात् केन्द्रीयवाह/बीकास द्वारा ओ.एम.आर. शीट एकत्रित किए जाने के उपरोक्त बीकास की अनुमति से ही परीक्षार्थी परीक्षा अधिक छोड़ेगा। ओ.एम.आर. शीट सहित कक्ष से बाहर जाने पर अन्यार्थी के विशेष आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाएगा।
- 04 नियांसित समय समाप्त होने के उपरोक्त किसी भी परीक्षार्थी को अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जाएगा (केवल इष्टियाचित तथा ऐसे ज़रूरियतपूर्ण जो दोनों ही हाथों से लिखने में असमर्थ हैं तथा वे जिन्होंने सहजेक की सुधिष्ठित हो रहे हैं, ऐसे अन्यार्थी को परीक्षा में 20 लिटर प्रति घण्टा अतिरिक्त समय दिया जाएगा)।
- नियांसित समय के उपरोक्त कोई भी परीक्षार्थी न तो जिसे उत्तरी में कोई संशोधन करेगा और न ही शेष रहे प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयत्न करेगा।

तीन - ओ.एम.आर.शीट पर नाम और अनुक्रमांक :-

ओ.एम.आर. शीट पर परीक्षार्थी के विषेश स्थान पर ही अपना नाम और अनुक्रमांक लिखें। ओ.एम.आर. शीट के अस्य किसी भी भाग पर न तो अनुक्रमांक, न अपना नाम और न ही पता अंकित करें। ओ.एम.आर. शीट के साथ अस्य कोई सामान्य संलग्न करना चाहिए है। ओ.एम.आर.शीट पर पैसिल, रबर एवं ब्लाइटनर जैसे उपयोग करने वा अन्यार्थी के घास कक्ष में गोए जाने पर ज़रूरियत भाष्यम का एकरण जट्ठ किया जाएगा। ओ.एम.आर. शीट में (आपको दिए गए A, B, C, D प्रश्न वह सेट में से कोहे एक सेट लिखेगा) प्राप्तपत्र का सेट अवश्य इस एवं सेट के गोले को काले पेन से अंकित कराया जाएगा जरूर। आपके द्वारा प्रश्नपत्र सेट के नोंदे को जाला जाने पर ही उत्तर सेट की उत्तर कुली से ही ओ.एम.आर. शीट मूल्यांकन होगा। जैसा यिन में सेट-B के काला किया हो। सेट का गोला काला नहीं जाने पर मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

चिन्ह- चार

A	○
B	●
C	○
D	○

उत्तर अंकित करने हेतु अनुदेश -

- वेद्य स्थानी स्थानी वाले बोर्ड प्लाइंट पेन का प्रयोग करें।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर - यह में दिए गए प्रश्न अनुक्रम के समान संख्या नोंदे को जाला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु वेद्य एवं सेट के गोले को गोले पेन से अंकित कराया जाना चाहिए। यह नीचे दिया गया है :-

INCORRECT	INCORRECT	INCORRECT	INCORRECT	CORRECT
गलत B. C. D. ①	गलत A. C. ①	गलत A. B. ①	गलत A. B. ②	सही A. B. ③

- 4 पूरे गोले को गहरा काला बनाएं।

- 5 उत्तर के लिए दिए गए गोले को काला कीमिंग एक से आधिक गोले बाले करने / लिए (+) गोले पर भी उत्तर नाहीं होगा।

- 6 उत्तर पत्र पर काला काम करना मात्र है। इस काम के लिए प्रश्न वह के ऊंचे में खाली जगह का ही उपयोग नीजिए।

- 7 प्रश्न-पत्र के सेट के गोले को अत्यंत साधारणी से काला करें। उत्तर-पत्र में काले किए गए सेट के गोले के आधार पर ही उसे जारी कराया जाएगा। गोला गोला करने पर अन्यार्थी स्वयं लिम्नोदार होगा।

- 8 अन्यार्थी अमर प्रश्न पुस्तिका सेट का गोला नहीं भरता है, तो मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यह अत्योन्नत माना जाएगा।

- 9 अन्यार्थी उत्तर अपने अनुक्रमांक के गोले नहीं भरता है, तो मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। एवं वह अद्योतक माना जाएगा।

- 10 अन्यार्थी अपनी ओ.एम.आर. उत्तर पुस्तिका कक्ष के विषेश को ही जाना करें।

- 11 अन्यार्थी उत्तर अपनी ओ.एम.आर. उत्तर पुस्तिका पर उत्तर के गोले भरने / लिटर के लिए चाहिे पैसिल / ब्लाइटनर का उपयोग करता है, तो नकल का प्रकरण दर्ज किया जाएगा।

अनुचित साप्तर :-



परीक्षा हॉलिकड़ में किसी प्रकार का संचार उपकरण जैसे मोबाइल, टॉप, हिपिटन डबली, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, पेजर, कैल्कुलेटर आदि तथा शिल, रवर ब्लॉक्टनर जैसी सामग्री के गांद पाया जाता है, तो अनुचित साधन का प्रकरण दर्ज किया जाएगा। उनके पास कम्बान, हैंडल वा पॉकेट में लोहे आवृत्ति सामग्री, कोई पुस्तक या कागज जैसी परीक्षा में प्रश्नपत्र हल करने में सहायता हो। अभ्यर्थी के पास पाप जाने पर बकल प्रकरण दर्ज होगा।

परीक्षा बाहर में अनुचित साधनों का प्रयोग संवेद्य घटित हो दण्डनीय है। परीक्षा अवधि में उपने गांद कोई भी लिखित या कोरा बगड़, पुस्तक, बरस्तु, टॉप विशेषकर नोटाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा अन्य घटित पद्धति जैसा अनुचित साधनों के पास में सम्बन्धित माना जाएगा। इसी प्रकार परीक्षा क्षेत्र में अन्य परीक्षार्थी से चर्चा करना, उसकी ओ.एम.आर.शीट से नकाल करना अथवा अपनी शीट से अन्य परीक्षार्थी की नकल करना, जिसी अन्य परीक्षार्थी से ओ.एम.आर. शीट बदलना, परीक्षा अवधि में और-जोर से बोलना, किसी भी प्रकार की जांकेतिक माया अथवा किसी प्रकार अथवा अग्रिमा में अन्य परीक्षार्थी को किसी पद्धति का उत्तर बताना अथवा किसी अन्य परीक्षार्थी से किसी पद्धति का उत्तर पाप्स करने का कोई प्रयत्न करना या किसी कागज पर प्रश्न पर कोई नकल करना भी अनुचित साधनों के प्रयोग के अन्तर्गत माना जाएगा। परीक्षा अवधि में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर परीक्षार्थी द्वारा ही गई परीक्षा को निरस्त किया जा सकता, उसे परीक्षा से निष्काशित किया जा सकता, तथा गांद ही उसे आगामी ऐसी जवाबी के लिए जो जायीग उचित समझे आयोग की सभी परीक्षाओं, अन्य पद्धति के आयोगों की परीक्षा एवं तात्पात्कारी से देखित किए जाने का दण्ड ही किया जा सकता। परीक्षा की गोपनीयता -> परीक्षा पूर्ण / दौरान / प्रश्नपत्र-पत्र की गोपनीयता के अंतर्गत होने की किसी भी जातिहिनी में सिद्ध पाप जाने वाले अभ्यर्थी / अधिकारी के विकल्प अपराधिक प्रकरण दर्ज करना जा वाला दण्डनाक कार्यवाही की जाएगी।

पांच - प्रश्न संबंधी नियमावली

प्रश्न से संबंधित किसी प्रकार की विकल्प होने पर परीक्षार्थी परीक्षा के प्रारंभिक उत्तर कुंजी प्रकाशन के लिहिट्ट लियर्व्ह पर 07 दिवस के अंदर लिथोग्राफ शुल्क (150 रुपए प्रति प्रश्न तथा 40 रुपए 40 प्रति उत्तर पॉर्टल पार्क प्रश्न से देख) आपत्ति शुल्क एवं पॉर्टल चार्ज किसी भी स्थिति में यापन नहीं किया जाएगा। जबकि उत्तर कागज के अपत्ति दर्ज कराए। परीक्षा के प्रारंभिक उत्तर कुंजी प्रकाशन के 07 दिवस के अंदर ऑफलाइन पद्धति में दर्ज लिखावटी एवं ही विचार किया जाएगा। इसके पश्चात एवं अन्य किसी पद्धति से प्रस्तुत आपेक्षित भर्ती नेटवर्क लिया जाएगा। आपत्ति दर्ज कराने पर देख शुल्क किसी भी स्थिति में यापन नहीं किया जाएगा। दर्ज जापत्तियों सही बाईं जाने पर संशोधन का तात्पर अध्यवधीयों को प्राप्त होगा। यह भी उनके द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं की गई हो।

छठ - ओ.एम.आर.शीट का जीटाजा -

परीक्षार्थी चरीक्षा के उपरान्त ओ.एम.आर. शीट पाप के खिलाफ को ही संरिये। परीक्षार्थी द्वारा किसी भी स्थिति में ओ.एम.आर. शीट परीक्षा क्षण से बाहर जैसे जाना अथवा परीक्षा के उपरान्त उसे बापत्र न दिया जाना मन्त्रीत अपराध माना जाएगा और हस्त उत्तर के लिए अपराधिक इकाय दर्ज कर दण्डनाक कार्यवाही भी की जाएगी।

सात - ओ.एम.आर.शीट पर ज्ञानक्रमांक अंकन के अन्य पूर्णताएँ

1. ओ.एम.आर.शीट पर नियत न्याय पर परीक्षार्थी अपना जड़ी नाम और अनुक्रमांक शब्दों एवं झंकों में अंकित करे तथा परीक्षा का विषय कोड के सभी गोले भरे। ताप ही प्रश्न एवं सेट और भी अल्पतं तत्वधारी से भरे उत्तर के गोले को काला करें। इस शब्दमें दिए गए निर्देशों को नव्वीरात्रि पूर्वक पढ़ने के पश्चात ही आवश्यक परिचितियों की जाएं।
2. ओ.एम.आर. शीट पर जोई दाग/ छिहन न लगाने पाए, उस बात की सतर्कता दरती।

आठ - प्रश्नपत्र पर अंकन

परीक्षार्थी प्रश्नपत्र पर भी अनुक्रमांक लिये तात्पर रूप कार्य प्रश्नपत्र में दिख नए शुल्क पर ही करे इसके अतिरिक्त प्रश्नपत्र पर कुछ भी लिखना, प्रश्नपत्र की नकाल करना या उसकी प्रति बनाना लिखित होकर अनुचित साधन प्रयोग के समान दण्डनीय है।

नौ - अपस्थिति प्रकार

प्रत्येक प्रश्नपत्र के सम्बन्ध परीक्षा क्षण में योग्यक के सम्बन्ध परीक्षार्थी लिखि सहित अपले हस्ताक्षर करें। यह हस्ताक्षर नमूने के हस्ताक्षर के अनुरूप हो। हस्ताक्षर के नीचे अपवाह नाम भी लिखें।

दस - अभ्यर्थीयों हेतु सहनेवाल कंवंधी नियम

- अ. अभ्यर्थीयों का दिवरण लिन्है चुविशा प्रदान की जाएगी ->

 १. ऐसे परीक्षार्थी जो अद्यामक शीमार ही जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, तो आपाय का दण्डनाक पर ऐसे शासकीय विभिन्ना अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक योजना से कम रैक का हो हो।
 २. आकर्षित दुर्घटन हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आपाय का दण्डनाक पर ऐसे शासकीय विभिन्ना अधिकारी द्वारा दिया गया हो, तो सहायक योजना से कम रैक का हो हो।
 ३. उपरोक्त क्षणों के अभ्यर्थीयों जो छोड़कर अन्य अभ्यर्थीयों यो सहनेवाल एवं प्रतिपूर्क समय की सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी।

ए. प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ -

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थीयों को सहायक एवं प्रतिपूर्क समय की सुविधा प्रदान की जाएगी। उपरोक्त सुविधा तेजे हेतु अभ्यर्थी द्वारा तम्भू जानकारी मध्य दृस्तावेजी एवं प्रधानाएँ-पत्र सहित परीक्षा दिनांक से एक दिवस पूर्व संबंधित परीक्षा केन्द्रायात्रा के सम्बन्ध प्रस्तुत करना होनी ताकि लियमानुसार लिखित अनुसंधि प्रदान की जा सके। अपस्थिति कारणी से पूर्ण में आदेति लेखन लहायक अपस्थिति न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा केन्द्रायात्रा के सम्बन्ध उपरान्त लिखित अधिकारी जारी की जानुरप्य योर्यताधारी अन्य सेवन सहायक की सुविधा हेतु



अनुमति दी जा सकेंगी। लेखन सहायक से पौराण-पद अध्ययन ज्ञापन।

(i) लेखन सहायक की नियुक्ति हेतु शर्त :-

लेखन सहायक पद ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए जिसकी न्यूनतम शैक्षणिक दृश्यता अस्थर्थ द्वारा दी जा रही परीक्षा की अंतिम दो कम होना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि निसी परीक्षा हेतु अस्थर्थ की शैक्षणिक अंतिम स्नातक से कम होना चाहिए। (अर्थात् स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना होना चाहिए) यदि निसी पद की परीक्षा की शैक्षणिक अंतिम स्नातकोत्तर उपाधि है तो सहायक की शैक्षणिक स्नातकोत्तर उपाधि से कम होनी चाहिए। (अर्थात् स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होना चाहिए)

(ii) प्रतिपूरक छात्र हेतु शर्त :-

ऐसे अव्याधियों को जिन्हें उपरोक्त अनुसार सहायक की नुविधा द्वारा दी गई है, जिन्हानुसार प्रतिपूरक सम्बद्ध की प्रक्रिया होगी :-

3 घंटे की अवधि के पश्चात के लिए	60 मिनट
---------------------------------	---------

2 घंटे की अवधि के पश्चात के लिए	40 मिनट
---------------------------------	---------

स. इसके अतिरिक्त प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ :-

यथा संभव ऐसे अव्याधियों का एरीष्य काफ़ ज्ञात पर लिपीरित किया जाएगा।

इ. अव्याधी को पाठ सहायता कार्य में सेवन परीक्षा हेतु आज्ञा होना। आयोग/केन्द्राध्यक्ष द्वारा सहायता का प्रबोधन नहीं कराया जाएगा।

टीप.- उपरोक्त प्रकरणों के अतिरिक्त अन्य जिसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण एवं निर्णय लिए जाने हेतु आयोग के रुखीप्रकार सुरक्षित रहेंगे।

उपायक्रम विविध

1 परीक्षार्थी को जिसी भी प्रकरण में चाक पेपर या नम्बर / स्टेमिल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा और परीक्षार्थी स्वयं भी चाक पेपर या नम्बर / स्टेमिल परीक्षा अवल भी नहीं लाएंगे।

2 परीक्षार्थी को अपने साथ ऐसिस, क्लाइटनर, हिलिंड डायरी, डॉग, कैम्बड्यूटर, सेल्फिल फोन, पेवर तथा अन्य electronic gadgets साथ लाएंगे हैं। उपरोक्त विवेत वस्तुएँ अस्थर्थी के बाह्य पाए जाने पर अनुचित हाथरण प्रकरण अंतर्गत बकल प्रकरण बनाया जाएगा।

आस-पास - परीक्षार्थी ओ.एम.आर. औट एवं परीक्षार्थी पर दो गड़ तमस्त सूचनाएँ/निर्देश एवं जेनुइन एवं पूर्वक यात्रा करना करी अनुशासन व शालीनता

1 परीक्षा कक्ष में धूमपान करना / अशिष्ट, अलगैल वार्तालाभ करना पूर्णतः निषिद्ध है दण्डनीय है।

2 परीक्षा परिकार में पर्व अवल के अन्दर वीक्सन एवं केन्द्राध्यक्ष द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों का पालन जलिवारी है।

3 परीक्षा अवल के कार्बोवार अग्नि केन्द्र पर भी गड़ अन्य अवलस्था को किसी प्रकार जी छाटि नहीं पहुँचाएँ जाना चाहिए। यह दण्डनीय है।

4 यदि परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष द्वारा निर्देशों का पालन नहीं करता है अथवा अशिष्ट अवसरण करता है अथवा अनुचित या अप्रीम्योप या उशालील व्यवहार करता है तो उह परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा। उसकी परीक्षा निवस्त की जा सकेगी जब वह ऐसे अन्य दण्ड का भी भागी होगा जो आयोग उचित नहीं देता। केन्द्राध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे परीक्षार्थी के नाम गोपनीय दण्ड से आयोग को सूचित किए जाए। परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष के पूर्ण प्रशासकीय नियंत्रण भी होगा।



आग :- "H"

परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम यथाशीघ्र आयोग की वेबसाइट पर² जारी किया जाएगा

भाग :- "I"
प्रवेश-पत्र की उपलब्धता

1. इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु इन्दौर, भोपाल, जबलपुर तथा रवासियर स्थित परीक्षा केन्द्रों पर वस्तुभित्ति प्रश्नों की OMR आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा में शास्त्र अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न विषयों हेतु विज्ञापित पदों के तीन गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। परीक्षा तिथि एवं प्रवेश-पत्र उपलब्धता तिथि को गवाहामय आयोग की वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर प्रकाशित किया जाएगा।
2. आयोग द्वारा भर्ती विज्ञापनों में ऑनलाइन आवेदन-पत्र आपंत्ति के समय अभ्यर्थियों से परीक्षा केन्द्र आवंटन हेतु शहर की अवामान्यता एवं उपलब्धता के आधार पर आवंटित की जाती है। अभ्यर्थी द्वारा एक बार अवामान्यता उपरांत परीक्षा शहर परिवर्तन के संबंध में प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
3. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियाओं में समिलित अभ्यर्थियों को परीक्षा में जाने-जाने का नियमानुसार गाना व्यय प्राप्त करने हेतु व्यय प्रतिपूर्ति का चर्चाकरण प्रावधानित है, जिसके अनुसार नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जाती है। अतएव इस संबंध में किसी भी मात्राम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

